

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-01/उ०नि०-मुकदमा-14-03/2016

आदेश

वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-03/एम० 2-5 वे०पु०-22/99, 4685 वि०(2), दिनांक 25.06.2003 अधिसूचना सं० 03/एम० 2-5 वे०पु० 28/99-1802 दिनांक 23.03.2006 वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14.07.2010 (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति योजना 2010) एवं उद्योग विभाग के पत्रांक-4643 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन गठित उद्योग निदेशालय स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 13 एवं 14.11.17 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में श्री उमाकान्त चौधरी, सेवानिवृत्त कुशल शिल्पी को 12 एवं 24 वर्ष नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरूप प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० प्रभावी होने की तिथि 09.08.99 से प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० की स्वीकृति उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान में दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापन स्थान	प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी०	तृतीय एम०ए०सी०पी०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री उमाकान्त चौधरी, सेवानिवृत्त कुशल शिल्पी, विघटित आदर्श काष्ठ कर्मशाला, मुजफ्फरपुर।	जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	दिनांक 09.08.99 से प्रथम ACP देय। वेतनमान 3200-4900	दिनांक 09.08.99 से द्वितीय ACP देय। वेतनमान 4000-6000	-	-

2. कर्मियों के सम्बन्ध में उल्लेखित आँकड़ों में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मियों को प्रदत्त ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. कर्मियों के मामलों में मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए(1) के अधीन वेतन निर्धारण किया जायेगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ०नि०-मुकदमा-14-03/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक

सं०सं०-01/उ०नि०-मुकदमा-14-03/2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


क०००००

ज्ञापांक:- 3549

/पटना, दिनांक 21.11.17

सं०सं०-01/उ०नि०-मुकदमा-14-03/2016

प्रतिलिपि:- उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना/अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2/लोक (उद्योग)03/2009 8872/लोक, दिनांक-25.09.2017 के आलेक में/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं सम्बन्धित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

26/11/17

प.स.